



प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2026

विषय:- जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत कालपी राजवाहा के किमी० 0.000 से 22.700 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1323/ 2120/ परियोजना/ कैम्प/ बजट, दिनांक 13.07.2026 एवं शासनादेश संख्या-35/ 2025/ 001/ 2006/ 25-27-सिं-9-118 एसएवी/ 25, दिनांक 27.01.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत कालपी राजवाहा के किमी० 0.000 से 22.700 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु० सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4700-10-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि ₹० 3,00,00,000.00 (रुपये तीन करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुदान सं०/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026 -27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं०/ दिनांक	प्रशा० स्वीकृति की लागत a गठित/ (अनुबन्ध की लागत) b	अनुबन्धित लागत आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध पुनरीक्षित/ लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक कमित वंटन व्यय	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत सापेक्ष 7-9(b))	वित्तीय वर्ष 2026-27	
										अनुदान सं० / लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम के अन्तर्गत कालपी राजवाहा के किमी० 0.000 से 22.700 तक पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना	94-4700-10-051-10-14-24	300.00	पत्र सं०-35/ 2026/ 001 / 2006/ 25-27-सिं०-9-118 एसएवी/ 25 दिनांक 27.01.2026	(a) 1090.43 / (b)-717.61	853.96	236.47	50.00 / 4.32	849.64	94-4700-10-051-10-14-24	300.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विभाग का होगा।
- (3) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
 - (6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पीएल/ डिपॉजिट खाते में न रखी जाय।
 - (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
 - (8) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/ दस-2011-17(4)/ 75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/ दस-2014-17(4)/ 75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (9) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 - (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािावृ (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (11) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/ 2023/ ए-2-60/ दस-2023-17(4)/ 75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/ 2023/ ए-2-66/ दस-2023-17(4)/ 75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (12) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/ 2026 दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (13) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000.00 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-94-लेखा शीर्षक-4700100511014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24** वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/ 2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/ (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, झांसी।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/ नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ०प्र०शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है